फर्द आदेशात

नाम न्यायालय [illegible] नाम [illegible]

[illegible]

केस संख्या 236/2021

क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	[illegible]
		है। प्रस्तुत वाद में पत्रावली रूप से विलम्ब एवं आवश्यक पक्षकार नहीं होने से वाद में पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 11.02.2025 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
	11/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। [illegible] के विरुद्ध एकतरफा [illegible]। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस को सुना गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली के विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] किया जाकर निर्णयानुसार डिक्री पृथक से जारी हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर नियमानुसार [illegible] बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

फिराल नं.
236/2024

तारीख फैसला
11.02.2025

1. शक्तिसिंह उर्फ पप्पूसिंह चन्द्रावत, पुत्र तेजभान सिंह, जाति राजपूत, निवासी वर्तमान निवासी 195, भदूडा, ग्रांम गुन्दीकला, आगर, मालवा तहसील आगर जिला आगर, मालवा मध्यप्रदेश।

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार आंधी जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ताः—

श्री राजेश कुमार पारीक :— अधिवक्ता वादी।

निर्णय

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से वाद बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती इन कथनो के साथ पेश किया गया कि वादी के पिता तेजभान सिंह जी मूल रूप से ग्रांम सानकोटड़ा के निवासी रहे है, जो काम धन्धे के लिए मालवा मध्यप्रदेश में चले गये थे और वादी मध्यप्रदेश मे ही पैदा हुआ और वहीं पर अपना व्यवसाय करता है। वादी के पैतृक सम्पत्ति ग्रांम सानकोटड़ा में स्थित है जो खसरा नंबर 541, 542, 543, 552, 553, 554, 555 कुल खसरा संख्या 7 कुल रकबा 18.1800 हैक्टेयर है। वादग्रस्त भूमियां वादी की खातेदारी भूमियां है, जो वादी के बचपन के नाम पप्पूसिंह पुत्र तेजभान सिंह के नाम तथा वादी के भाई के बचपन के नाम भंवरसिंह पुत्र तेजभान सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। वादी का बचपन में नाम पप्पूसिंह रहा है और वादी के भाई का नाम भंवरसिंह रहा है, जब वादी ने स्कूल में दाखिला लिया तब उसका नाम शक्तिसिंह रखा गया, इसी प्रकार वादी के भाई का नाम भी स्कूल में देवीसिंह रखा गया, जब वादी के पिता तेजभान सिंह जी का देहान्त हुआ तब वादी दो वर्ष की आयु का था और उसके भाई देवीसिंह उर्फ भंवरसिंह भी नाबालिग थे, इस प्रकार तेजभान सिंह जी के देहान्त के बाद वादी और उसके भाई के बचपन के बोलते नाम पप्पूसिंह पुत्र कंवर तेजभानसिंह और भंवरसिंह पुत्र कंवर तेजभानसिंह के नाम से उक्त खातेदारी भूमियां तेजभानसिंह के वारिसों में से उनके फौत होने पर वादी व उसके भाई के नाम हिस्सा 1/2, हिस्सा 1/2 के हिसाब से दर्ज हुई, जो अब तक रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी के भाई देवीसिंह उर्फ भंवरसिंह का देहान्त दिनांक 12.04.1980 को हो चुका है, जो नाऔलाद फौत हो चुके है, जिनके प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नही है और वादी ही सगा भाई होने के कारण देवीसिंह उर्फ भंवरसिंह का वारिस है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमियों का एकमात्र खातेदार काश्तकार वादी है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड

वादी और उसके भाई का बचपन का नाम अंकित है, जबकि वादी और उसके भाई का रिकॉर्डेड नाम शक्तिसिंह पुत्र तेजमानसिंह और देवीसिंह पुत्र तेजमानसिंह है एवं देवीसिंह पुत्र तेजमानसिंह के देहान्त के पश्चात् वादी उक्त भूमियों का खातेदार काश्तकार है। वादी उक्त भूमियों को समय-समय पर अन्य लोगो को बट पर काश्त करने हेतु देता रहा है और समय-समय पर उक्त भूमियों की सार संभाल करने आता है और सारा परिवार काम काज मध्यप्रदेश में शीर्ष उनवान में अंकित पते पर करता है। वादी के भाई का देहान्त दिनांक 12.04.1980 को होने के पश्चात् उक्त भूमियों का तन्हा खातेदार वादी रहा है। वादी की माता प्रेम कंवर उर्फ कुसुम कंवर का देहान्त भी दिनांक 14.09.1993 को हो चुका है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में नाबालिग पप्पूसिंह पुत्र कंवर तेजमानसिंह संरक्षक नाबालिग वलि माता कुसुम देवी पत्नी स्व0 तेजमानसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत एवं नाबालिग भंवरसिंह पुत्र कंवर तेजमानसिंह संरक्षक नाबालिग वलि माता कुसुम देवी पत्नी स्व0 तेजमानसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत के स्थान पर शक्तिसिंह उर्फ पप्पूसिंह पुत्र तेजमानसिंह खातेदार अंकित करवाने हेतु यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ, क्योंकि वादी अब नाबालिग नही है और ना ही बचपन में बोलते नाम से उसका रिकॉर्ड है, बल्कि स्कूल के रिकॉर्ड में नाम शक्तिसिंह है और उसके भाई देवीसिंह का देहान्त भी हो चुका है, जिसके हिस्से का खातेदार भी वादी ही है, इस प्रकार वादी उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम इन्द्राज करवाने का अधिकारी है ओर रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

प्रस्तुत वाद दर्ज रिकॉर्ड कर प्रतिवादी तहसीलदार आंधी को नोटिस जारी किये गये एवं रिपोर्ट सहित जवाब तलब किया जाने पर तहसीलदार का जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसमे तहसीलदार ने अपने जवाब मे कहा कि वादग्रस्त भूमि मे फतेहसिंह के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 80 सन् 1977 उनके नाबालिग पुत्रों भंवरसिंह, पप्पूसिंह के नाम स्वीकृत हुआ। गांव के मौजबीन व्यक्तियो से पूछने पर बताया गया कि तेजमान सिंह जी कमाने खाने के लिए मध्यप्रदेश चले गये थे और उनकी मृत्यु के समय उनके दो नाबालिग पुत्र थे, जिनके बचपन के बोलते नाम से व उनके पत्नी के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ, स्कूल मे दोनो बच्चो के नाम शक्तिसिंह व देवीसिंह लिखे गये, भंवरसिंह व देवीसिंह का देहान्त हो चुका है। पप्पूसिंह उर्फ शक्ति सिंह मध्यप्रदेश मे अपना काम काज करते है और कभी कभी गांव आते है।

हमने बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी। वाद पत्र तहसीलदार आंधी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जवाब के साथ संलग्न पटवारी की रिपोर्ट, प्रस्तुत जमाबंदी, नामान्तकरण संख्या 80 दिनांक 19.09.1977 प्रस्तुत देवीसिंह, प्रेमकंवर के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र, आधार कार्ड इत्यादि प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। नामान्तकरण संख्या 80 जिसका अंकन जमाबंदी सम्वत् 2033 से 37 की कॉलम संख्या 16 मे भी अंकित है कि तेजमान सिंह जी के बजाय उसके वारिसो के नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है। उक्त नामान्तकरण एवं रिकार्ड से स्पष्ट है कि तेजमान के दो वारिसों के नाम खातेदारी दर्ज हुई। जिसमें से एक पुत्र देवीसिंह के नाऔलाद अविवाहित फौत होने पर वादी उक्त भूमि का एकमात्र खातेदार है तथा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार गांव के मौजबीन व्यक्तियो ने बोलते नामो से तेजमान सिंह जी के पुत्रो के नाम नामान्तकरण होना बताया है एवं पत्रावली पर प्रस्तुत शपथ पत्र जो कुलदीप सिंह चन्द्रावत पुत्र फतेहसिंह द्वारा निष्पादित है, जिसमे कुलदीप सिंह चन्द्रावत ने कहा है कि शक्तिसिंह का बचपन का नाम पप्पूसिंह था और देवीसिंह के बचपन का नाम भंवरसिंह था, इसलिए उनके बोलते नामो से नामान्तकरण उनकी बाल्यावस्था मे खुलवा दिया गया था। तेजमान सिंह जो मेरे सगे भाई थे, उनके पुत्र देवीसिंह भी फौत हो चुके है, जिसके वारिस भी शक्तिसिंह है, जो मध्यप्रदेश मे रहते है। शक्तिसिंह मेरे पारिवारिक सदस्य है और इस नाते उनकी जमीन की मैं और मेरा भाई करते

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़

है। शक्तिसिंह गावं पर आते जाते रहते है और जमीन को संभालते है, इसी प्रकार विक्रम सिंह पुत्र नरपत सिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे कहा है कि तेजभान सिंह जी मेरे मामा लगते थे और शक्तिसिंह ही अकेला तेजभान सिंह जी का वारिस बचा है। वादी की ओर से अन्य दस्तावेज ग्रांम सानकोटडा मे प्रताप सिंह पुत्र फतेहसिंह, उम्मेद सिंह पुत्र फतेह, कुलदीप सिंह पुत्र फतेहसिंह, अशवीर सिंह पुत्र रणवीर सिंह वगैरह के नाम दर्ज जमाबंदियां भी पेश की है, जो वादी के पिता के भाई एवं परिवारजन है। उक्त आधारो पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना योग्य है।

आदेश

वादी का वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार कर वादग्रस्त भूमियां खसरा नंबर 541 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 542 रकबा 1.2800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 543 रकबा 10.170 हैक्टेयर, खसरा नंबर 552 रकबा 1.3600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 553 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 554 रकबा 3.1200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 555 रकबा 1.5900 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 7 कुल रकबा 18.1800 हैक्टेयर स्थित ग्रांम सानकोटड़ा, तहसील आंधी जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में नाबालिग पप्पूसिंह पुत्र कंवर तेजभानसिंह जाति राजपूत एवं नाबालिग भंवरसिंह पुत्र कंवर तेजभानसिंह संरक्षक नाबालिग वलि माता कुसुम देवी पत्नी स्व0 तेजभानसिंह हिस्सा 1/2 स्थान पर शक्तिसिंह उर्फ पप्पूसिंह पुत्र तेजभानसिंह, जाति राजपूत अंकित किया जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 11.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ